न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत शिविर–लाखोला
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–131/2016 रे0वाद
अन्तर्गत धारा :–53–188 आर.टी.एक्ट

अनवान

रामेश्वर पिता बन्शीलाल ब्राहम्ण निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा

––वादी

बनाम

1. सोहन पिता मगना निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा
2. नारायण पिता मगना निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर

––प्रतिवादीगण

–:निर्णय :– दिनांक :–25.05.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53–188 आर0टी0एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 09.05.2017 को वादी का वादपत्र प्राथमिकतः डिक्री किया जाकर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा स्थित आराजी नं0 1008 रकबा 0.06 हे0, एवं 1010 रकबा 0.20 हे0 में आवागमन के रास्ते को कायम रखते हुए वादी का 2/3 हिस्सा पृथक से कायम करते हुए, कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के पृथक से विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये जिन्होनें विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं जिसका अवलोकन किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धार 53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार वादी रामेश्वरलाल पिता बंशीलाल ब्राहम्ण सा0देह के नाम आराजी नं. 1010/2 रकबा 0.1364 तथा प्रतिवादी सोहन, नारायण पिता मगना गाडरी सा0देह के नाम आराजी संख्या 1008/2 रकबा 0.0239 व 1010/3 रकबा 0.0362 तथा 1010/4 रकबा 0.082 रास्ता कुल किता 3 रकबा 0.0683 राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। जरिये इन्तकाल नम्बर 635/18.06.2016 से भूमि अवाप्ति से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम आराजी नं. 1008/1 रकबा 0.0361 एवं आराजी नं. 1010/1 रकबा 0.0192 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0553 भूमि राजस्व अभिलेखों में यथावत दर्ज रहेगी। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।